उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, 1958

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1959)

THE UTTAR PRADESH WAREHOUSE ACT, 1958

(U.P. Act No. III of 1959)

उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, 1958[1]

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1959)

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 30 जुलाई, 1958 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1958 ई० की बैठक में कुछ संशोधनों के साथ, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने 24 सितम्बर, 1958 की बैठक में अनुमोदित किये थे, स्वीकृत किया।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 10 फरवरी, 1959 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 फरवरी, 1959 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में गोदामों के अधीक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

[2] [यह इष्टकर है कि गोदामों में माल को वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर ढंग से जमा करने को प्रोस्ताहित किया जाय और उक्त माल के निक्षेप्ताओं के हितों की सुरक्षा को जाय तथा गोदामों के उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की जाय।]

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, 1958 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी तथा शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भित्र भित्र दिनांक निश्चित किये जा सकते है।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में–

(क) "सहकारी समिति'' का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन रजिस्टर्ड अथवा रजिस्टर्ड समझी गई समिति से है।

(ख) ''निक्षेप्ता'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपना माल गोदाम–परिचालक को गोदाम में जमा रखने के लिये देता है, तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो गोदाम–परिचालक द्वारा जमा किये गये माल के संबंध में दी गई रसीद का सम्यक् अनुक्रम से धारी हो और जो सम्यक् पृष्ठांकन या हस्तान्तरण द्वारा निक्षेप्ता या उसके वैध हस्तांतरी से माल में स्वत्व प्राप्त करे :

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये 9 जुलाई, 1958 ई0 का उ0प्र0 सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(ग) "माल'' का तात्पर्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1962 की धारा 2 के खंड (ए) में परिभाषित कृषि उत्पादन (agricultural produce) और ऐसी अन्य वस्तुओं से है जो नियत की जायें;]

(घ) ''लाइसेंस'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्वीकृत अथवा धारा 6 के अधीन नवीकृत लाइसेंस से है;

(ङ) "लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन लाइसेंस–प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन एवं उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है;

(च) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) ''रसीद'' का तात्पर्य नियत प्रपत्र में गोदाम की रसीद से है जो गोदाम परिचालक द्वारा निक्षेप्ता को दी जाये तथा जिससे यह व्यक्त हो कि उसमें लिखा माल उसके गोदाम में जमा किया गया है;

(ज) "राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

[2][(झ) ''गोदाम'' का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, इमारत अथवा अन्य पटे हुए घेरे से है जो माल रखने के काम में लाया जाता है;]

[3][(ञ) ''गोदाम परिचालक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो गोदाम रखने का व्यवसाय करता हो और जिसके अन्तर्गत उस व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति भी है;–]

[4] [(ञञ) ''गोदाम रखने'' (warehousing) का तात्पर्य परिरक्षण (preservation) या सुरक्षित अभिरक्षा (Safe custody) के लिये निक्षेप्ताओं की ओर से माल जमा रखने के व्यवसाय से है; तथा]

(ट) "सम्यक अनुक्रम से धारी'' का अर्थ वह है जो निगोशिएबिल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट 1881 में पद "होल्डर इन ड्यू कोर्स (holder in due course)" का है। **ऐक्ट संख्या 26, 1881**

अध्याय 2

गोदामों का लाइसेंसीकरण

लाइसेंस के बिना गोदाम का न रखा जाना

[5][**3**–उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे, कोई व्यक्ति इस अधिनियन के अधीन स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल न गोदाम रखेगा और न गोदाम रखना जारी रखेगा।]

लाइसेंस के लिये प्रार्थना–पत्र

[6][**4**–(1) लाइसेंस के लिये प्रत्येक प्रार्थना–पत्र नियत प्रपत्र में नियत शुल्क और प्रतिभूति के साथ, लाइसेंस–प्राधिकारी को दिया जायगा :]

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रार्थी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1962 अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य सेंट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला वेयरहाउसिंग कारपोरेशन हो तो कोई प्रतिभूति अपेक्षित न होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर लाइसेंस–प्राधिकारी उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथाशक्य शीघ्र प्रार्थी को ऐसे प्रपत्र में और उन ब्योरों के साथ लाइसेंस देगा जो नियत किये जायें।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 3(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 3(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 3(3) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3(4) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि–

(क) प्रस्तावित गोदाम, नियत शर्तों के अनुसार, उस वर्ग विशेष का माल जमा रखने के उपयुक्त नहीं है, जिसके लिये वह अभिप्रेत है; या

(ख) प्रार्थना–पत्र के साथ नियत शुल्क या प्रतिभूति नहीं है और उक्त शुल्क या प्रतिभूति पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर नहीं दी गयी है जिसकी अनुमति लाइसेंस प्राधिकारी दें, तो लाइसेंस के लिये प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।][1]

लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन

5–राज्य सरकार सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित करके गोदाम–परिचालक को धारा 4 के अधीन स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों में परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन कर सकती है।

लाइसेंस की अवधि तथा उसका नवीकरण

6–धारा 4 के अधीन स्वीकृत लाइसेंस नियत की जाने वाली अवधि तक वैध होगा तथा गोदाम–परिचालक द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं नियत शुल्क दिये जाने पर लाइसेंस–प्राधिकारी समय–समय पर ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो नियत की जाय, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 4 में दी हुई अन्य शर्तें पूरी होती रहनी चाहिये।

प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करने तथा धनराशि वापस करने की प्रक्रिया

[2][7–(1) लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करने के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देगा।

(2) यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करे तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारण अभिलिखित करेगा और अपनी आज्ञा की एक प्रति प्रार्थी को भेजेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसका लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तदर्थ प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर अपने द्वारा जमा की गई या दी गयी प्रतिभूति को, यदि कोई हो, और उस अवधि के लिये जिसके संबंध में प्रार्थना–पत्र हो जमा किये गये शुल्क को भी, यदि कोई हो, वापस पाने या लौटाये जाने का हकदार होगा।]

लाइसेंस का निलम्बन तथा रद्द करना

8–लाइसेंस–प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक लाइसेंस स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रद्द अथवा निलम्बित किया जा सकता है यदि उसकी राय में लाइसेंस ग्रहीताः–

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है; अथवा

(ख) गोदाम पर नियंत्रण से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग हो गया है; अथवा

(ग) ने गोदाम का संचालन बन्द कर दिया है; अथवा

(घ) ने अपनी सेवाओं के लिये अनुचित परिव्यय मांगा या वसूल किया है; अथवा

(ङ) [3][XXX]

(च) ने लाइसेंस की किन्हीं शर्तों का अथवा इस अधिनियम या नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है अथवा उनका पालन नहीं किया है:

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1964 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा निकाला गया।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन अथवा रद्द करने का आदेश देने के पूर्व लाइसेंस–प्राधिकारी गोदाम–परिचालक को एक नोटिस देगा जिसमें वे कारण वर्णित रहेंगे जिनके आधार पर लाइसेंस को निलम्बित अथवा रद्द करने का विचार हो तथा उसे समुचित अवसर देगा कि वह कारण बतलाये कि उसका लाइसेंस क्यों न निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहाँ लोक–हित में तुरन्त कार्यवाही आवश्यक हो वहां लाइसेंस–प्राधिकारी कारण लिखने के पश्चात् बिना इस प्रकार का नोटिस दिये लाइसेंस निलम्बित कर सकता है।

[1][**9**–(1) यदि लाइसेंस समाप्त हो जाय या निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय तो गोदाम परिचालक, गोदाम रखने का कार्य बन्द कर देगा, किन्तु अपने इस व्यवसाय का उपसंहार करने के लिये उसे ऐसी अवधि स्वीकृत की जा सकेगी जो नियत की जाय। गोदाम परिचालक, लाइसेंस समाप्त होने के, या उसे निलम्बित अथवा रद्द किये जाने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंस–प्राधिकारी को लाइसेंस लौटा देगा।

(2) यदि गोदाम परिचालक उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित लाइसेंस नहीं लौटाता है तो लाइसेंस–प्राधिकारी, इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह आज्ञा दे सकता है कि उसके द्वारा या जमा की गयी पूरी प्रतिभूति यदि कोई हो या उसका कोई भाग, जब्त कर लिया जाय।]

लाइसेंस की दूसरी प्रति

10–जब गोदाम–परिचालक का स्वीकृत लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विकृत हो जाय अथवा अन्य प्रकार से अस्पष्ट हो जाय तो लाइसेंस प्राधिकारी नियत रीति से तथा नियत शुल्क दिये जाने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कर देगा।

अध्याय 3

गोदाम–परिचालन के कर्त्तव्य

जमा किए गए माल की उचित देख–भाल

11–प्रत्येक गोदाम–परिचालक अपने पास जमा किये गये माल की उतनी देखभाल करेगा जितनी कि उसी प्रकार की परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में औसत विचारशीलता वाला कोई व्यक्ति अपने माल की करेगा।

माल को क्षति से बचाने के लिये सावधानी

12–(1) प्रत्येक गोदाम–परिचालक गोदाम में जमा किये गये माल को हानि तथा क्षति से बचाने के लिये अपने गोदाम को ऐसी अवस्था में रखेगा जो नियत की जाय।

(2) कोई गोदाम–परिचालक जमा करने के लिये ऐसा माल नहीं लेगा जिससे कि दूसरे माल को, जो जमा हो अथवा आगे जमा किया जाये, क्षति होने की संभावना हो।

माल की पहचान का परिरक्षण

13–प्रत्येक गोदाम–परिचालक अपने गोदाम में एक निक्षेप्ता के माल को दूसरे निक्षेप्ताओं के माल से, तथा उसी निक्षेप्ता के अन्य ऐसे माल से, जिसके लिये अलग रसीद दी गई हो, ऐसी रीति से अलग रखेगा जिससे कि जमा किये गये मालों की हर समय पहचान हो सके तथा वे सरलता से दिये जा सकें;

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्धारित कोटि के अनुसार बनाये गये (standardized) और निर्धारित श्रेणी के (grade) माल किसी गोदाम में जमा किये जायं तो, किसी विपरीत संविदा के अधीन रहते हुए एक ही तरह का माल जो एक निक्षेप्ता अथवा विभिन्न निक्षेप्ताओं का हो साथ में रखा जा सकता है और प्रत्येक निक्षेप्ता सूख तथा सिकुड़न का यथोचित ध्यान रखते हुए यथास्थित अपनी रसीद में व्यक्त भार अथवा परिमाण के अनुसार केवल अपने माल की मात्रा का अधिकारी होगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1964 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

गोदाम–परिचालक निक्षेप्ता को माल के निरीक्षण की सुविधायें देगा

14–प्रत्येक गोदाम–परिचालक निक्षेप्ता को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, निरीक्षण करने के लिये तथा यह समाधान करने के लिये कि माल की उचित रूप से देखभाल की जा रही है, आवश्यक सुविधायें देगा।

गोदाम में माल का क्षीण होना तथा उनका निस्तारण

15–(1) जब कभी भी गोदाम में जमा किया गया माल गोदाम परिचालक के वश के बाहर के कारणों से क्षीण होने लगे अथवा उसके क्षीण होने की संभावना हो तो यह तुरन्त निक्षेप्ता को इस आशय का नोटिस देगा जिसमें उससे अपेक्षा करेगा कि वह यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस करके तथा गोदाम–परिचालक को देय पूरे परिव्यय देकर माल तुरन्त वापस ले ले।

(2) यदि निक्षेप्ता उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस का पालन नियत समय के भीतर नहीं करता तो गोदाम–परिचालक निक्षेप्ता के व्यय तथा जिम्मेदारी पर माल को गोदाम से हटवा सकता है और उसका सार्वजनिक रूप से नीलाम करवा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि गोदाम परिचालक ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, बिक्री की पूर्व–सूचना उसके कम से कम 48 घंटे पहले देगा।

[1] **[स्पष्टीकरण**–सूखने अथवा सिकुड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने के कारण परिमाण या भार की वृद्धि इस धारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा, यदि हानि या वृद्धि, ऐसी सीमाओं से अधिक हो जिन्हें लाइसेंस–प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, नियत करे।]

माल की दशा के विषय में सूचना

16–कोई व्यक्ति, जो गोदाम में जमा किये गये किसी माल में या ऐसे माल की रसीद में स्वत्व रखता हो, गोदाम–परिचालक को इस तथ्य की तथा अपने स्वत्व की प्रकृति की लिखित सूचना दे सकता है और गोदाम–परिचालक इस बात का अभिलेख रखेगा। यदि ऐसा व्यक्ति लिखित प्रार्थना करता है कि माल की दशा के सम्बन्ध में उसे सूचित किया जाये तथा वह उस सूचना के लिये व्यय देने को सहमत हो तो गोदाम–परिचालक उसे तदनुसार सूचना देगा।

माल देना

17–(1) निक्षेप्ता के मांगने पर तथा उसके यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस करने और गोदाम–परिचालक को देय पूरे परिव्यय देने पर प्रत्येक गोदाम–परिचालक उसे अपने गोदाम में जमा किया हुआ माल अनावश्यक विलम्ब के बिना दे देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि निक्षेप्ता अपने तथा गोदाम–परिचालक के बीच किसी अनुबन्ध के अधीन रहते हुये गोदाम में जमा किये गये माल को आंशिक रूप से वापस (partial delivery) ले सकता है।

(2) गोदाम परिचालक को इस प्रकार दी जाने के पश्चात् प्रत्येक ऐसी रसीद, [2][उपधारा (3) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए,] उसके द्वारा विरूपित कर दी जायेगी तथा पुनः जारी नहीं की जायेगी।

[3][(3) यदि निक्षेप्ता द्वारा माल आंशिक रूप से ही वापस लिया जाय तो गोदाम परिचालक रसीद में इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा और उसे निक्षेप्ता को लौटा देगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1964 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 10(1) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 10(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

जमा किये गये माल में कमी अथवा वृद्धि के लिये गोदाम प्रचालक का उत्तरदायित्व

18–(1) गोदाम–परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में [1][लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई सीमाओं] से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में [1][लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई सीमाओं] से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा।

[2][(2) यह विवाद उत्पन्न हो कि भार अथवा परिमाण में लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा निश्चित सीमा से अधिक कमी या वृद्धि, सूखने वा नमी सोख लेने के कारण है अथवा ऐसे अन्य कारणों से हैं जो गोदाम परिचालक के वश के बाहर थे तो यह विवाद लाइसेन्स–प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा वो उस पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम व पक्षों पर बन्धनकारी होगा किन्तु यदि सम्बन्ध पक्ष लिखित रूप में अपना यह विचार प्रकट करें कि उक्त विवाद धारा 29 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ मण्डल को अभिदिष्ट किया जाय तो उस दशा में उसे इस प्रकार अभिदिष्ट किया जायेगा।]

गोदाम के माल का बीमा

[3][**19**–प्रत्येक गोदाम–परिचालक ऐसी रीति से और ऐसी घटनाओं के लिये जो नियत की जायें, अपने गोदाम में जमा माल का बीमा करायेगा :

ऐक्ट संख्या 58, 1962

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा को कोई बात गोदाम में जमा किये गये ये गये उस माल पर लागू न होगी जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 अथवा तत्समय प्रचलित किसी सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का हो, यदि ऐसे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने उक्त घटनाओं से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति के लिये नियत रीति से निक्षेप्ता को प्रतिकर देना स्वीकार कर लिया है।]

विभेद–निषेध

20–कोई गोदाम–परिचालक अपने व्यवसाय के संचालन में उन व्यक्तियों में विभेद नहीं करेगा जो उसके गोदाम की सुविधाओं का उपयोग करने की इच्छा करते हों:

प्रतिबन्ध यह है कि गोदाम–परिचालक सहकारी समिति को ऐसी अधिमान्यता देगा तथा उसके लिये ऐसी रियायती दरें रखेगा जो नियत की जायं।

गोदाम में जमा माल से व्यापार करने व उस पर रूपया उधार देने पर निर्बन्धन

[4][**21**–(1) कोई भी गोदाम–परिचालक अपने गोदाम में जमा करने के लिये प्राप्त माल से अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से, जिसके अन्तर्गत माल का स्वामी भी है, न व्यापार करेगा और न उस पर रूपया उधार देगा, भले ही किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध–

ऐक्ट संख्या 58, 1962

(1) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले किसी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन पर, सिवाय उस निर्बन्धन के जो उसके गोदाम में निक्षेप के लिये उसके द्वारा प्राप्त माल पर रूपया उधार देने के उसके अधिकार पर लागू हों; या

(2) किसी सहकारी समिति पर लागू न होंगे।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 11(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 11(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

सेवा परिव्यय

22–गोदाम–परिचालक गोदाम में माल जमा रखने के लिये ऐसे परिव्यय ले सकता है, जो नियत किये जायं।

लेखे आदि का रखा जाना

23–गोदाम–परिचालक हिसाब–किताब तथा अभिलेख ऐसे आकार में तथा रीति से रखेगा जो नियत किये जायं।

गोदाम–परिचालक का ग्रहणाधिकार

24–प्रत्येक गोदाम–परिचालक का अपने गोदाम में जमा किये माल पर, माल जमा रखने के परिव्यय तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी आनुषंगिक परिव्यय के लिये ग्रहणाधिकार (lien) होगा।

अध्याय 4

माल का श्रेणी निर्धारण

तौला (weighers), नमूना बनाने वाले (samplers) तथा वर्गकार (classifiers) का लाइसेन्स लेना

25–(1) लाइसेन्स–प्राधिकारी नियत प्रपत्र में प्रार्थना–पत्र तथा नियत शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि दिये जाने पर नियत अर्हताओं वाले व्यक्तियों को लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है, जो उन्हे गोदाम परिचालक द्वारा चालित गोदाम में जमा किये गये अथवा जमा किये जाने वाले किसी माल के तौला, नमूना बनाने वाले तथा वर्गकार का कार्य करने तथा अपने द्वारा परीक्षित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के बारे में प्रमाण–पत्र देने के लिये प्राधिकृत करेगा ।

(2) इस प्रकार दिया गया कोई प्रमाण–पत्र, [1][धारा 29 में अभिदिष्ट शिकायत पर मध्यस्थमंडल द्वारा दिये गये] आदेश के अधीन रहते हुए, गोदाम–परिचालक तथा निक्षेप्ता के लिये इस प्रकार प्रमाणित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के विषय में बन्धनकारी होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, गोदाम परिचालक द्वारा चालित गोदाम में रक्खे जाने वाले माल के सम्बन्ध में न तो तौला, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार के रूप में काम करेगा और न स्वंय को इस रूप में प्रकट करेगा।

धारा 25 के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स सम्बन्धी उपबन्ध

26–(1) तौला, नमूना बनाने वाले तथा वर्गकार का धारा 25 के अधीन स्वीकृत प्रत्येक लाइसेंस ऐसी अवधि तक वैध होगा जो नियत का जाय तथा प्रार्थना–पत्र एवं नियत शुल्क दिये जान पर समय–समय पर ऐसी अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा, जो नियत की जाय।

(2) लाइसेन्स–प्राधिकारी लाइसेन्सगृहीता को उन कारणों की सूचना देने के पश्चात जिनके आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो तथा उसे इसके विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देने के पश्चात, कोई भी लाइसेन्स रद्द कर सकता है।

(3) जब लोकहित में तुरन्त कार्यवाही करने की अपेक्षा हो तो लाइसेस प्राधिकारी, कारण लिखने के पश्चात, कोई भी लाइसेन्स बिना उक्त सूचना दिये निलम्बित कर सकता है।

लाइसेन्स लौटाना

[1]**[27**–जब कभी तौला, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार का स्वीकृत लाइसेन्स समाप्त हो जाये अथवा निलम्बित कर दिया जाय तो लाइसेन्स गृहीता उसे लाइसेन्स प्राधिकारी को लौटा देगा और उसके ऐसा न करने पर उनकी सम्पूर्ण [2][प्रतिभूति अथवा उसका कोई भाग लाइसेन्स प्राधिकारी के विवेक से जब्त किया जा सकेगा।]] ,

तौलने वाले आदि के लाइसेन्स की दूसरी प्रति

[3] [**27–क**–यदि तौलने वाले, नमूना बनाने वाले या वर्गकार को दिया गया लाइसेन्स खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विकृत हो जाय अथवा अन्य रूप से अपठनीय हो जाय, तो लाइसेन्स प्राधिकारी, नियत रीति से और नियत शुल्क का भुगतान किये जाने पर, लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी करेगा।]

माल तौलने आदि के लिये सुविधायें देना

28–प्रत्येक गोदाम–परिचालक अपने गोदाम में जमा किये जाने वाले माल के तौलने, उसका नमूना बनाने एवं उसके वर्गीकरण की उन सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो नियत की जायं।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा बढ़ायी गयी।

मध्यस्थ–मण्डल का निर्णय

[1][**29**–(1) लाइसेन्स प्राधिकारी, धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अभिदिष्ट किसी विवाद का या गोदाम में जमा माल के प्रकार, भार या श्रेणी अथवा रसीद में उसके विवरण के सम्बन्ध में किसी तौलने वाले, नमूना बनाने वाले, वर्गकार अथवा गोदाम परिचालक के विरुद्ध किसी शिकायत का निर्णय करने के लिये, नियत रीति से एक मध्यस्थ–मण्डल का संघटन कर सकता है।

(2) मध्यस्थ–मण्डल ऐसे विवाद या शिकायत का निर्णय करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

(3) मध्यस्थ–मण्डल का निर्णय अन्तिम तथा पक्षों पर बन्धनकारी होगा।]

अध्याय 5

गोदाम को रसीदें

रसीद

[2] [**30**–गोदाम–परिचालक अपने गोदाम में प्रत्येक निक्षेप्ता द्वारा जमा किये गये माल के लिये नियत प्रपत्र में एक रसीद देगा जिसमें माल के पूरे विवरण दिये जायेंगे।]

रसीद का पृष्ठांकन द्वारा हस्तान्तरण

31–यदि गोदाम–परिचालक द्वारा दी गई रसीद में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, तो वह पृष्ठांकन द्वारा हस्तान्तरणीय होगी एवं सम्यक अनुक्रम से धारी व्यक्ति को उसमें निर्दिष्ट माल उन्हीं शर्तों पर पाने के लिये अधिकृत करेगी जिन पर कि माल निक्षेप्ता पा सकता।

दूसरी रसीद

32–यदि रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय अथवा बिगड़ जाये तो निक्षेप्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने तथा नियत शुल्क चुकाये जाने पर, गोदाम–परिचालक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, रसीद को दूसरी प्रति जारी करेगा ।

अध्याय 6

विविध

निरीक्षण

33–लाइसेन्स प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम तथा नियमों को अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है ऐसे समय के अन्दर, जो नियत किया जाय, कभी भी किसी गोदाम उसके यंत्र तथा साज–सज्जा का, उसमें जमा किये गये माल तथा उससे संबंधित हिसाब–किताब और अभिलेख का निरीक्षण या परीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है।

अपील

34– [3] [(1) लाइसेन्स–प्राधिकारी की, इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स स्वीकृत या नवीकृत न करना निलम्बित या रद्द करने अथवा किसी लाइसेन्स के सम्बन्ध में जमा की गयी किसी प्रतिभूति को जब्त करने की आज्ञा के विरूद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, जो सहकारी समितियों के सहायक निबन्धक के पद से नीचे के पद का न हो, और ऐसे समय के भीतर की जायेगा जो नियत का जाय।]

(2) अपील सुनने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

लाइसेन्स के निलम्बन अथवा रद्द करने के लिये प्रतिकर न मिलना

35–इस अधिनियम के अधीन जब कोई लाइसेन्स निलम्बित अथवा रद्द किया जाए तो लाइसेन्स गृहता उसके लिये किसी प्रतिकर का अधिकारी न होगा और यदि उसने कोई शुल्क दिया हो तो उसकी वापसी का भी अधिकारी न होगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

इस अधिनियम से असंगत अनुबंध शून्य होंगे

36–प्रत्येक संविदा और अनुबन्ध, जो इस अधिनियम या नियमावली के उपबंधों से असंगत हो, ऐसी असंगति का आयति तक शून्य (Void) होगा।

दण्ड तथा प्रक्रिया

37–[1][(1) जो व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित लाइसेन्स प्राप्त किये बिना गोदाम–परिचालक, तोलने वाले, नमूना बनाने वाले या वर्गकार का काम करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किन्ही उपबन्धों का जान–बूझकर उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ–दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।]

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध करने वाला कोई कम्पनी या कोई संस्था अथवा व्यक्तियों का समुदाय हो, चाहे वह निगमित हो या न हो, तो उस कम्पनी, संस्था या समुदाय के कार्यों को प्रबन्ध करने वाले प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता अथवा अन्य मुख्य अधिकारी को, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दें कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, उस अपराध का दोषी समझा जायेगा।

वादों तथा विधिक कार्यवाहियों पर रोक

[2][**37–क**–(1) इस अधिनियम या उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या विधिक कार्यवही न की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में हुई अथवा संभाव्य किसा क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही न का जा सकेगी।]

नियम

38–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषता और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमो में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेन्सों का आकार (प्रपत्र) तथा उनकी शर्तें;

(ख) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के स्वीकरण, नवीकरण, रद्द करने तथा निलम्बन से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ग) समय–समय पर लाइसेंसों के स्वीकरण, निलम्बन तथा रद्द करने और गोदाम परिचालकों एवं उनके गोदामों की सूची का प्रकाशन;

(घ) प्रतिभूति की धनराशि को जब्त करने की प्रक्रिया;

[3][(घघ) लाइसेन्स शुल्क या प्रतिभूति लौटाने की प्रक्रिया;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन सूचनायें देने की रीति;

(च) धारा 7 के अधीन आदेशों को संदिष्ट करने की रीति;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 21 द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उपर्युक्त की धारा 22(1) द्वारा बढ़ायी गयी।

(छ) धारा 15 के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल बेचने की रीति;

(ज) आकार (प्रपत्र) तथा रीति जिसमें धारा 16 के अधीन सूचना भेजी जायगी तथा उनमें निर्दिष्ट किए जाने वाले ब्योरे;

(झ) धारा 17 के अधीन माल देने की प्रक्रिया;

(ञ) धारा 25 के अधीन दिए जाने वाले प्रमाण–पत्र का आकार (प्रपत्र);

(ट) लाइसेंस–प्राप्त गोदामों में प्रयोग के लिए प्रामाणिक बांट, नाप तथा मालों का श्रेणी निर्धारण;

(ठ) धारा 29 के अधीनस्थ–मंडलों की कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके निर्णय के निष्पादन की रीति;

(ड) अपीलों के निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) सामान्यतया गोदाम परिचालक के कार्य का दक्ष संचालन; तथा

(ण) ऐसे अन्य विषय जो नियत किए जाने वाले हों अथवा जो किए जा सकें।

[1] [(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन (Annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंने जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात का वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।]

अपवाद

ऐक्ट सं0 1, 1944, ऐक्ट सं0 8, 1878, ऐक्ट सं0 8, 1896

[2] [**39**–इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसे गोदाम पर लागू न होंगे जो सेन्ट्रल एक्साईजेज एन्ड साल्ट ऐक्ट, 1944, सी कस्टमस ऐक्ट, 1878 या इनलैन्ड ब्रान्डेड वेयर हाउसेज ऐक्ट, 1896 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राप्त हों।

मुक्त करने का अधिकार

40–राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध से मुक्त कर सकती है।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 22(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।